4

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ- 5/अभि/सीटीएडी/मीरा कन्या छात्रावास/ / 11311-21 दिनांक : 6-3-19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय मे ट्यूबवेल निर्माण एवं जनजाति कन्या छात्रावास में सोलर गीजर की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर का पत्रांक 453–55 दिनांक14.02.2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 5053–60 दिनांक 25.01.2019 द्वारा राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय मे ट्यूबवेल निर्माण संख्या–2 (डाया 6 इंच) एवं सर्दियों मे गर्म पानी की व्यवस्था हेतु जनजाति कन्या छात्रावास में सोलर गीजर की प्रशासनिक स्वीकृति अनुमानित लागत 5.00 लाख जारी की गई जिसकी कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी रिपोर्ट मय ड्राईग, विस्तृत तकमीना व तकनीकी स्वीकृति (सपअ स्वच्छ/49/14.02.2019) प्राप्त होने पर राशि रू. 5.95 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय स्वच्छ परियोजना को जिला उदयपुर में मरम्मत एवं सुविधा विकास कार्य हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि में से होगा।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे।तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. नवीन नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू–जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगतिपर एवं पूर्णता के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ **बचत राशि लौटाई जावे।**

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/11311-21 दिनांक : 6-3-19

प्रतिलिपी :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर।
7. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
8. निदेशक, मॉनेटरिंग/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)